# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

**अपील संख्या 304/2011**

नरेश चन्द त्रिपाठी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 20.09.2011
**आदेश की दिनांक** : 29.05.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी पी त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**
**असलम मेहर, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि पूर्व में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 01.06.2007 में पारित आदेश की पालना करवाते हुए अनुलग्नक–7 में दर्शाए हुए समस्त परिलाभ यथा बकाया वेतन, यात्राभत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता तथा इनसे संबंधित अनुषांगिक लाभ मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अपीलार्थी को आदिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है, को भुगतान किए जाने के आदेश पारित किए जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.11.1981 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर हुई थी एवं दिनांक 18.06.1984 के आदेश द्वारा उसे सेवा से निलम्बित किया गया एवं आदेश दिनांक 04.03.1986 द्वारा उसे सेवा में बहाल किया गया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उसे दो वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसके लिए अपीलार्थी ने दिनांक 22.10.1986 को प्रत्यर्थी विभाग को इस आशय का अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। किन्तु उसे वेतन वृद्धियां नहीं दी गई है एवं नए वेतनमानों में वेतन निर्धारण भी नहीं किया गया, जिस हेतु अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष एक अपील संख्या 50/2002 प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.06.2007 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को

एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्रत्यर्थी विभाग को भी निर्देश दिए गए किः—

> *''अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करते हुए उसका अभ्यावेदन प्राप्त होने की दिनांक से चार माह की अवधि में कारण अंकित करते हुए विस्तृत आदेश पारित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करे तथा अपीलार्थी को अपने निर्णय से अवगत करावे। यदि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के आदेश से व्यथित होता हो तो वह पुनः अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।'*

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। जिसके कारण अपीलार्थी को आर्थिक एवं मानसिक हानि हो रही है। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 01.06.2007 की पालनार्थ एवं अपीलार्थी को देय बकाया भुगतान/आनुषांगिक परिलाभ प्रदान करने बाबत् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.08.2011 को प्रत्यर्थी विभाग को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर माननीय अधिकरण के आदेश की पालना करवायी जावे तथा अपीलार्थी को देय बकाया भुगतान/आनुषांगिक परिलाभ प्रदान करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को सेवा से संबंधित समस्त परिलाभ यथा प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान एवं चतुर्थ, पंचम तथा छठा वेतन आयोग के अनुसार वेतन का निर्धारण, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्भुगतान के बिल इत्यादि का नियमानुसार भुगतान किया जा चुका है यदि अपीलार्थी द्वारा उक्त भुगतान कार्रवाई के पश्चात् अपने कोई प्रतिपूर्ति व्यय बिल प्रस्तुत किए गए हो, तो उनका भी नियमानुसार कर दिया जाएगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

अपीलार्थी द्वारा जवाब—उल—जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग उसे देय बकाया का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। जबकि उसके द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को बार—बार निवेदन किया जाता रहा है। उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए यात्रा—भत्ता व्यय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय बिलों का भुगतान तथा अन्य देय बकाया भुगतान अभी तक बकाया चल रहे है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस संबंध में भुगतान संबंधी जो कथन किया गया है, वह असत्य एवं मिथ्या है। अतः अपीलार्थी को देय समस्त परिलाभ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करवाये जाने के आदेश फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अधिकरण के पूर्व के निर्णय दिनांक 01.06.2007 के अनुसार अपीलार्थी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है एवं मात्र आंशिक पालना ही की गयी है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा व्यथित होकर पूर्व निर्णय में प्रदत्त छूट कि वह असंतुष्ट होने पर पुनः अधिकरण में चाराजोई कर सकता है, के तहत् अपीलार्थी की अभ्यावेदन की मांग उचित है।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार तथा विभाग द्वारा उसे नियमों के सापेक्ष निस्तारित करने में अनापत्ति जाहिर की।

अतः न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अपीलार्थी का अभ्यावेदन राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/ नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देवें।

इस प्रकार अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती है।

Sd/- Sd/-

**(असलम मेहर)**
**सदस्य**

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**